

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 353-54
भोपाल, दिनांक 24/3/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 1282 / 2020

आवेदक :-

**M/s Kwaliti Engineering
Products,
54-55, Sector- F, Industrial
Area, Behind Balaji Tol Kanta,
Sanwer Road, Indore- 452015**

विरुद्ध अनावेदक :-

**The Superintending Engineer,
Coimbatore Electricity
Distribution Circle/ Metro,
Tangedco Ltd., Tatabad TNEB
Complex Coimbatore, TN- 641012**

माध्यस्थम आदेश दिनांक :- 24 मार्च 2021

1. काउन्सिल के समक्ष आवेदक श्री मेसर्स क्वालिटी इंजीनिअरिंग प्रॉडक्ट्स, इंदौर द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 30 के अधीन अनावेदक द सुपरिन्टेंडिंग प्रॉडक्ट्स इंजीनिअर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के विरुद्ध मूलधन राशि रुपये 3,71,700/- एवं ब्याज राशि निरंक तथा कुल भुगतान राशि 3,71,700/- वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2020 को प्रस्तुत किया गया।
2. काउन्सिल द्वारा प्रकरण को एम.एस.ई.एफ.सी / 1282 / 2020 पर दर्ज कर अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 63, दिनांक 11.02.2021 को जारी किया गया।
3. प्रकरण, सुनवाई दिनांक 16.03.2021 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
4. प्रकरण में आवेदक मेसर्स क्वालिटी इंजीनिअरिंग प्रॉडक्ट्स, इंदौर द्वारा सुनवाई दिनांक 16.03.2021 को उपस्थित होकर लिखित में अवगत कराया कि उसे द सुपरिन्टेंडिंग प्रॉडक्ट्स इंजीनिअर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा समझौता अनुसार राशि का भुगतान हो चुका है। अतः मेरा प्रकरण समाप्त किया जाए। अतः आवेदक की सहमति के आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया।



3-5C

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 1282 / 2020

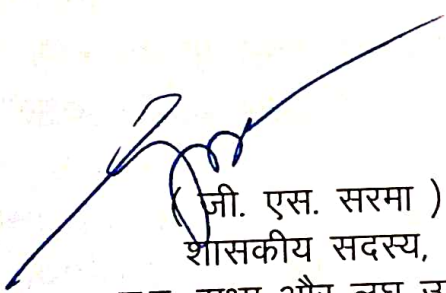
-2-

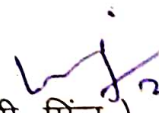
5. अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।


(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।




(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।


(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।